IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

एक राष्ट्र– एक चुनाव का : समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ.बादाम सिंह गंगवार
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र
जागरण स्कूल ऑफ लॉ,
देहरादून, उत्तराखंड

डॉ. कल्पना
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीतिक विज्ञान
जागरण स्कूल ऑफ लॉ,
देहरादून, उत्तराखंड

अमित सिंह नेगी
शोधार्थी
राजनीतिक विज्ञान
राधे हरि पीजी कॉलेज,
काशीपुर, उत्तराखंड

सारांश

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" (One Nation, One Election) लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी ही उसकी आत्मा होती है। बार–बार चुनावों से न केवल मतदाताओं की भागीदारी घटती है, बल्कि यह नागरिकों के बीच चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर उदासीनता भी पैदा कर सकती है। एक साथ चुनावों के माध्यम से नागरिकों की सहभागिता को अधिक संगठित और जागरूक बनाया जा सकता है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि जब राजनीतिक गतिविधियाँ संगठित होती हैं, तो सामाजिक संवाद अधिक गहरा होता है, और इससे जन–संवाद तथा सामाजिक एकजुटता को बल मिलता है। इस शोधपत्र में इस अवधारणा का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है, जिससे यह समझा जा सके कि यह विचार समाज पर किस प्रकार प्रभाव डाल सकता है, और इसके क्या संभावित लाभ तथा चुनौतियाँ हैं।

कुटशब्दः एक राष्ट्र, एक चुनाव, चुनौतियाँ, लोकतंत्र, समाज, प्रभाव

प्रस्तावना

एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का तात्पर्य है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसका मूल उद्देश्य है चुनावी प्रक्रिया में लगने वाले संसाधनों, समय, धन और प्रशासनिक व्यवधान को कम करना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाना। भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली में सुधार की एक बहुपरिचर्चित अवधारणा है, जो पिछले कुछ वर्षों में देश के राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में गहन विमर्श का विषय बन गई है। यह अवधारणा केवल एक प्रशासनिक सुधार का सुझाव नहीं देती, बल्कि यह देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित करने वाली एक व्यापक नीति परिवर्तन का संकेत देती है। भारत एक विशाल, विविधतापूर्ण और संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ केंद्र और राज्यों में स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सरकारें कार्य करती हैं। वर्तमान में भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग–अलग समय पर होते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। इसका सीधा प्रभाव न केवल सरकारी कार्यों और प्रशासनिक संसाधनों पर पड़ता है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों पर भी इसका असर पड़ता है। बार–बार चुनावों के कारण सामाजिक संसाधनों पर बोझ, और नागरिकों की चुनावी थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा इस स्थिति का समाधान प्रस्तुत करती है। इसका मूल उद्देश्य है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं ताकि समय, धन, प्रशासन और सामाजिक ऊर्जा की बचत की जा सके। यह विचार न केवल शासन व्यवस्था को अधिक स्थायित्व देने की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि यह नागरिक समाज की भागीदारी और राजनीतिक चेतना को भी प्रभावित करता है।

समाजशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी बड़े नीति परिवर्तन का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि वे सामाजिक चेतना, सामूहिक भागीदारी और सामाजिक समरसता को भी प्रभावित करते हैं। जब हम **"एक राष्ट्र, एक चुनाव"** की बात करते हैं, तो यह विचार समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे ग्रामीण समुदाय, अल्पसंख्यक, महिलाएं, युवा, मजदूर वर्ग, और क्षेत्रीय पहचान रखने वाले समूहों पर किस प्रकार असर डालेगा, यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। समाजशास्त्र इसी गहन अध्ययन का औजार प्रदान करता है।

हालांकि, इस व्यवस्था की व्यवहारिक चुनौतियाँ भी अनेक हैं। भारत का संघीय ढांचा राज्यों को अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता देता है। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल एक समय पर समाप्त हो, यह सुनिश्चित करना एक बड़ी संवैधानिक चुनौती है। समाज के विविध समूहों की पहचान और उनकी क्षेत्रीय राजनीतिक प्राथमिकताएं, एक साथ चुनावों के कारण दब सकती हैं। इससे क्षेत्रीय असंतोष और सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त, समाज के भीतर चुनावों को लेकर जो जीवंतता होती है, वह बार–बार राजनीतिक संवाद को बढ़ाती है। यह संवाद ही लोकतंत्र को गतिशील बनाता है। यदि चुनाव एक ही बार में कर लिए जाएं तो चुनावों की संख्या तो घटेगी, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक संवाद की आवृत्ति और विविधता भी घट सकती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह लोकतांत्रिक चेतना के लिए चुनौती बन सकती है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि **"एक राष्ट्र, एक चुनाव"** के विचार को केवल एक प्रशासनिक सुधार के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे सामाजिक पुनर्संरचना की दृष्टि से भी समझा जाए। यह विचार सामाजिक एकता, राजनीतिक स्थायित्व, और नागरिक सहभागिता को किस प्रकार प्रभावित करता है, इस पर समाजशास्त्रीय चिंतन आवश्यक है। इस शोधपत्र के माध्यम से यही प्रयास किया गया है कि हम इस विषय को राजनीति और प्रशासन की सीमाओं से बाहर निकाल कर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषित करें।

इस प्रस्तावना का उद्देश्य केवल विषय का परिचय देना नहीं है, बल्कि यह यह भी स्पष्ट करना है कि **"एक राष्ट्र, एक चुनाव"** की अवधारणा का सामाजिक प्रभाव कितना व्यापक और जटिल हो सकता है। यह शोध इस बात की गहराई से पड़ताल करेगा कि इस प्रणाली के लागू होने से समाज में किस प्रकार के परिवर्तन संभव हैं, किन वर्गों को लाभ या हानि हो सकती है, और यह विचार भारत जैसे विविध समाज के लिए कितना उपयुक्त है।

आज जब भारत नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों की ओर अग्रसर है, तब ऐसे विचारों पर गहन अध्ययन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की आवाज, भागीदारी और सामाजिक न्याय का माध्यम है। इस शोध का उद्देश्य इस सामाजिक पहलू को उजागर करना है और यह समझना है कि **"एक राष्ट्र, एक चुनाव"** की व्यवस्था किस प्रकार भारत के लोकतांत्रिक समाज को प्रभावित कर सकती है।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" के विचार पर विगत दो दशकों में कई विद्वानों, आयोगों और संगठनों ने गहन चिंतन किया है। इस समीक्षा साहित्य के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि समाजशास्त्रीय और राजनीतिक दृष्टिकोण से इस विषय पर क्या प्रमुख शोध, सुझाव और बहसें सामने आई हैं।

- **विधि आयोग की रिपोर्ट (Law Commission Report] 2018)** विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) और 21वें विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट में एक साथ चुनावों की व्यवहार्यता पर विस्तृत चर्चा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बार–बार चुनावों से नीति निर्माण और विकास कार्य बाधित होते हैं तथा प्रशासनिक व आर्थिक संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। हालाँकि, यह भी स्वीकार किया गया कि इसके लिए संविधान में संशोधन और राजनीतिक सहमति आवश्यक है। समाज के दृष्टिकोण से यह स्थायित्व और दक्षता को बढ़ावा देने वाला सुझाव माना गया है।

- **नीति आयोग की रिपोर्ट (NITI Aayog 2017)** नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में "One Nation One Election" को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक संगठित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया गया। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि चुनावों को दो चक्रों में कराया जा सकता है एक बार केंद्र व आधे राज्यों के लिए, दूसरी बार शेष राज्यों के लिए।
- **प्रो. योगेन्द्र यादव (राजनीतिक विश्लेषक)** प्रो. योगेन्द्र यादव ने तर्क दिया है कि एक साथ चुनाव क्षेत्रीय दलों के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो जाते हैं। इससे संघीय ढांचे और विविधता आधारित राजनीति को नुकसान पहुंच सकता है, जो भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है।
- **सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) – 2020 अध्ययन** CPR के एक अध्ययन में बताया गया कि एक साथ चुनावों से राजनीतिक ध्रुवीकरण में कमी आ सकती है, जिससे मतदाताओं का ध्यान मुद्दों की बजाय व्यक्तित्वों पर केंद्रित हो सकता है। इससे लोकसभा चुनावों की तरह राज्यों में भी "राष्ट्रीय लहर" प्रभावी हो सकती है।
- **समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण – एम. एन. श्रीनिवास और आंद्रे बेतेइल** हालाँकि इन विद्वानों ने सीधे तौर पर इस विषय पर कार्य नहीं किया, परन्तु उनकी सामाजिक संरचना, राजनीतिक सामाजिकरण, और स्थानीय–राष्ट्रीय सत्ता के द्वंद्व पर की गई व्याख्याएं इस बहस को समाजशास्त्रीय आधार प्रदान करती हैं। उनका मत था कि राजनीतिक निर्णय समाज के स्थानीय संदर्भों से जुड़ा होना चाहिए, और एकरूपता की प्रवृत्तियाँ समाज के भीतर विविधता और पहचान की राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं।
- **पत्रकारिता व लेखन क्षेत्र से स्रोत** The Hindu, Indian Express, EPW जैसे प्रमुख पत्रों में प्रकाशित लेखों में विशेषज्ञों ने आर्थिक लागत की बचत, मतदाता सहभागिता में वृद्धि, और शासन में स्थिरता को इसके पक्ष में बताया है।
  वहीं कुछ लेखकों ने चेताया है कि इससे स्थानीय मुद्दों की अनदेखी, और केंद्र सरकार की शक्तियों में अनुपातहीन वृद्धि हो सकती है।
- **अमुइट्ज़, गार्मेडिया, मदारियागा और एच. एजओज़ेन (दो–तरफ़ा कोटटेल प्रभावों की तलाशरू अमेरिका में एकीकृत दल और बहुस्तरीय चुनाव) [2015]** लेखक एक समकालिक समीकरण मॉडल का उपयोग करके, राज्य स्तर पर राष्ट्रपति और गवर्नर के वोट शेयरों के बीच पारस्परिक संबंध का अनुमान लगाते हैं
- **बशीर अहमद वागय (एक साथ चुनाव और भारतीय लोकतंत्ररू एक लटकता हुआ फल जिसे तोड़ने के लिए सुरक्षित हाथों की आवश्यकता है) [2016]** यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार (बशीर, 2016) एक भूखे व्यक्ति के लिए ष्एक लटकते हुए फल की तरह है जिसे तोड़ने के लिए सुरक्षित हाथों की आवश्यकता होती है।
- **बिबेक देबरॉय और किशोर देसाई (एक साथ चुनावों का विश्लेषणरू क्या, क्यों और कैसे – एक चर्चा पत्र) [2017]** इस पत्र के लेखक ने सुझाव दिया कि, संविधान और विषय क्षेत्र के विशेषज्ञों, थिंक टैंक, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों सहित हितधारकों का एक केंद्रित समूह स्वीकार्य कार्यान्वयन की बारीकियों को हल करने के लिए मिलता है। इसमें हितधारक संचार रणनीति तैयार करना, प्रासंगिक संवैधानिक और विधायी संशोधन लिखना, एक साथ चुनावों में परिवर्तन की सहायता के लिए व्यावहारिक संरचना पर निर्णय लेना आदि शामिल हो सकते हैं (बिबेक, 2017)। अन्य दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों की तरह, इस कदम को लागू करने से कुछ अल्पकालिक कष्ट होंगे। हालांकि, यह बेहतर प्रशासन और ष्चुनावी सुधारोंष के अधिक कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम होगा
- **चुनाव कानून, प्रक्रियाओं और सुधार विकल्पों की समीक्षा पर परामर्श पत्र [2001]** इस पत्र में, लेखक ने विभिन्न रिपोर्टों, कार्यकर्ता संगठनों और संबंधित नागरिकों द्वारा शोध पत्रों, समाचार पत्रों की रिपोर्टों और विश्लेषणों और चुनाव विषय पर उपलब्ध अन्य साहित्य की समीक्षा के बाद, यह पत्र एक चर्चा और परामर्श एजेंडा बनाने का प्रयास करता है।
- **डॉ. बिमल प्रसाद सिंह (भारत में चुनाव सुधार – मुद्दे और चुनौतियाँ) [2013]** द्वारा प्रस्तुत इस शोधपत्र में वर्तमान चुनावी प्रक्रिया में हो रही समग्र गतिविधियों का संकेत दिया गया है तथा चुनाव प्रणाली की बेहतरी के लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं ।
- **डॉ. जयप्रकाश नारायण (एक साथ चुनाव कराने की वांछनीयता और व्यवहार्यता) [2016]** इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ, नियमित चुनाव और राज्यों में राजनीति में आमूल–चूल सुधार और शासन में परिवर्तन के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदमों की

सिफारिश की। सफलतापूर्वक कैसे लागू कर सकते हैं, हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इस अवधारणा के लाभ और नुकसान क्या हैं।

- **सीमा उइके, भावना पाठक आदि (एक राष्ट्र, एक चुनाव का दायरारू लागों की धारणा पर एक फीड–फॉरवर्ड अध्ययन) [2018]** यह लेख एक राष्ट्र, एक चुनाव नीति के बारे में जनता की राय का परीक्षण करता है। अध्ययन के निष्कर्ष देश में एक साथ चुनावों के प्रति सकारात्मक रुझान दर्शाते हैं। वर्तमान स्थिति में, लोग चुनाव सुधार और बदलाव के लिए तैयार हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि एक साथ चुनाव कराने से लोकतंत्र को स्थिरता मिलेगी, भ्रष्टाचार, चुनाव और अन्य अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगेगी, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, विकास को गति मिलेगी, इत्यादि। एक साथ चुनाव भारत जैसे राष्ट्र के लिए हानिकारक नहीं हैं क्योंकि यह भारतीयों के लिए कोई नई बात नहीं है।
- **सिरस एच. देहदारिया, जाको मेरिलीनेन और स्वेन ऑस्करसन (समकालिक चुनावों में चयनात्मक मतदान से परहेजरू मतदान अंतर को समझना) [2021]** लेखक ने इस प्रश्न पर चर्चा की कि यदि एक ही दिन दो चुनाव होते हैं, तो कुछ लोग एक में मतदान करना और दूसरे में मतदान से परहेज करना क्यों चुनते हैं? उनका तर्क है कि चयनात्मक मतदान से परहेज उन्हीं कारकों से प्रेरित होता है जो मतदाता मतदान को निर्धारित करते हैं। उनका अनुभवजन्य विश्लेषण स्वीडन पर केंद्रित है जहाँ स्थानीय और राष्ट्रीय चुनावों के बीच (कुल) मतदान अंतर लगभग 2–3ः रहा है। समृद्ध प्रशासनिक रजिस्टर डेटा से पता चलता है कि उच्च सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग, अप्रवासी, महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति और भौगोलिक रूप से कम गतिशील लोग चुनिंदा मतदान से परहेज करने की संभावना कम रखते हैं।
- **सुमित हाउलादार (एक साथ चुनाव लोकतांत्रिक आपदा का एक निश्चित नुस्खा) [2013]** यह पत्र भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को रोमांचक और उल्लेखनीय मानता है और चर्चा करता है। इसने कई अज्ञात और कठिन रास्ते अपनाए हैं। लोकतांत्रिक विस्तार और सुदृढ़ीकरण की इस परियोजना में चुनाव एक प्रमुख घटक और प्रेरक रहे हैं। समय के साथ चुनाव कराने का पैमाना और तरीका दोनों नाटकीय रूप से बदल गए हैं। पहले, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव होते थे; हालाँकि, पिछले पचास वर्षों में, यह प्रणाली अप्रचलित हो गई है। हालाँकि, वर्तमान सरकार ने हाल ही में एक साथ चुनाव कराने की इस प्रणाली के नवीनीकरण पर जोर दिया है। इस प्रणाली का पुनरुद्धार, इस पत्र के अनुसार, बदले हुए सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में राष्ट्र के लोकतांत्रिक ताने–बाने के सर्वोत्तम हित में नहीं है।
- **वी.एस. रमा देवी और एस.के. मेंदीरत्ता (भारत कैसे मतदान करता हैरू चुनाव कानून, व्यवहार और प्रक्रिया) [2014]** यह पुस्तक पाठकों को भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों, तथा भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित चुनाव प्रणाली, व्यवहार और प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करती है। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो आमतौर पर ज्ञात नहीं है, लेकिन जो अक्सर कई लोगों के मन में जिज्ञासा जगाती है, का भी संक्षेप में उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक हमारी चुनाव प्रणाली के विवरण और जटिलताओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है।
- **वैभव यादव (लोकतंत्र और एक साथ चुनाव) [2022]** इस लेख में लेखक ने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की हैरू संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के समन्वय की क्या संभावनाएँ हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो क्या यह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है? इस लेख का उद्देश्य भारत में एक साथ चुनाव कराने के परिणामों और देश के लोकतंत्र पर इसके प्रभाव पर चर्चा करना है।

शोध के उद्देश्य (Research Objectives)

यह शोध पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है:

- ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना ।
- समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना ।
- एक साथ चुनावों से उत्पन्न संभावनाओं और जोखिमों का आकलन करना ।
- संघीय ढांचे और क्षेत्रीय विविधता पर प्रभाव का अध्ययन करना ।

शोध पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) प्रकृति का है। शोध का उद्देश्य **एक राष्ट्र, एक चुनाव** की अवधारणा को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना और इसके संभावित सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करना है।

शोध रूपरेखा (Research Design)

शोध में गुणात्मक (Qualitative) पद्धति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह अध्ययन सामाजिक संरचना, राजनीतिक चेतना, सहभागिता और पहचान जैसे अमूर्त विषयों पर केंद्रित है।

डेटा के स्रोत (Sources of Data)

द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources)

- विधि आयोग, नीति आयोग एवं चुनाव आयोग की रिपोर्ट्स
- संसद की स्थायी समितियों की टिप्पणियाँ
- समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विषयक पुस्तकों का अध्ययन
- समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख
- ऑनलाइन डेटाबेस: JSTOR, EPW, SSRN आदि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा कोई नई नहीं है। स्वतंत्र भारत में प्रारंभिक वर्षों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। पहला आम चुनाव 1951–52 में हुआ था, जिसमें केंद्र और राज्यों के चुनाव एक ही समय पर आयोजित किए गए थे। यही प्रक्रिया 1957, 1962 और 1967 में भी अपनाई गई। उस समय भारत के संघीय ढांचे के भीतर केंद्र और राज्य सरकारों की कार्यकाल अवधि में एकरूपता थी, जिससे एक साथ चुनाव संभव हो पाए।

हालांकि, 1967 के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। कई राज्यों में सरकारें अपने कार्यकाल से पहले ही गिरने लगीं और राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लगने के कारण विधानसभाएं भंग हो गईं। इसी क्रम में केंद्र की सरकार भी 1970 में गिर गई, जिसके बाद 1971 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। इन घटनाओं के बाद से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की समय–सारिणी में अंतर आ गया और चुनाव अलग–अलग समय पर होने लगे।

1980 और 1990 के दशक में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, जिससे अस्थिरता और बढ़ी। इसके कारण चुनावों की आवृत्ति और असमानता भी बढ़ती गई। वर्ष भर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, जिससे नीति निर्माण, विकास कार्य, और शासन की गति प्रभावित होती रही है।

विधि आयोग (Law Commission) ने 1999 और फिर 2018 में अपनी रिपोर्टों में सुझाव दिया कि एक साथ चुनाव संभव हैं, बशर्ते संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जाएं। चुनाव आयोग ने भी इसके समर्थन में कई बार रिपोर्टें दी हैं।

इस ऐतिहासिक विकासक्रम से स्पष्ट होता है कि एक साथ चुनावों की परंपरा भारत में रही है, लेकिन राजनीतिक और संवैधानिक कारणों से यह क्रम टूट गया। अब जब फिर से इस पर चर्चा हो रही है, तो इसे केवल प्रशासनिक सुधार न मानकर सामाजिक, राजनीतिक और संघीय ढांचे की समग्र दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" के बारे में रिपोर्ट

अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग (LCI) ने एक साथ चुनावों पर एक मसौदा रिपोर्ट जारी की, जिसमें मुद्दे से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सवालों का विश्लेषण किया गया। आयोग ने कहा संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव संभव नहीं हैं। संविधान एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में एक साथ चुनाव कराने के लिए उचित संशोधन की आवश्यकता होगी। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों से अनुसमर्थन आवश्यक है । 1999 में न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India) ने भी एक साथ चुनाव की वकालत की थी।

एक साथ चुनावों पर उच्च–स्तरीय समिति

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च–स्तरीय समिति का गठन भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता का पता लगाना था। समिति ने व्यापक जन और राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त कीं और इस प्रस्तावित चुनाव सुधार से जुड़े संभावित लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श किया। यह रिपोर्ट समिति के निष्कर्षों, संवैधानिक संशोधनों के लिए उसकी सिफारिशों और शासन, संसाधनों और जनभावना पर एक साथ चुनावों के संभावित प्रभाव का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करती है।

- जनता की प्रतिक्रिया : समिति को 21,500 से ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ मिलीं, जिनमें से 80 एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थीं। ये प्रतिक्रियाएँ देश के सभी हिस्सों से आईं, जिनमें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश से मिलीं।
- राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएँ: 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 32 दलों ने संसाधनों के अनुकूलन और सामाजिक सद्भाव जैसे लाभों का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। 15 दलों ने संभावित लोकतंत्र–विरोधी प्रभावों और क्षेत्रीय दलों के हाशिए पर जाने पर चिंता जताई।
- विशेषज्ञ परामर्श : समिति ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किया। बहुमत ने एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा का समर्थन किया, और बार–बार होने वाले चुनावों से संसाधनों की बर्बादी और सामाजिक–आर्थिक व्यवधानों पर ज़ोर दिया।
- आर्थिक प्रभावरू सीआईआई, फिक्की और एसोचौम जैसे व्यापारिक संगठनों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, तथा चुनाव चक्रों से जुड़े व्यवधानों और लागतों को कम करके आर्थिक स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला।
- कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण: समिति ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82, और 324, में संशोधन का प्रस्ताव रखा।
- कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण : समिति ने दो चरणों में एक साथ चुनाव लागू करने की सिफारिश की ।
- चरण 1: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का समन्वयन।
- चरण 2 : 100 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के साथ समन्वित करना।
- मतदाता सूची और ईपीआईसी का समन्वय: समिति ने राज्य चुनाव आयोगों द्वारा मतदाता सूची तैयार करने में कमियों को उजागर किया और सरकार के तीनों स्तरों के लिए एक ही मतदाता सूची और एक ही ईपीआईसी बनाने की सिफ़ारिश की। इससे दोहराव और त्रुटियों में कमी आएगी और मतदाता अधिकारों की रक्षा होगी।
- बार–बार होने वाले चुनावों पर जनता की भावना : जनता की प्रतिक्रियाओं से बार–बार होने वाले चुनावों के नकारात्मक प्रभावों, जैसे मतदाता थकान और शासन में व्यवधान, के बारे में महत्वपूर्ण चिंता का संकेत मिला, जिनके एक साथ चुनाव कराने से कम होने की उम्मीद है।

संघीय ढांचे और क्षेत्रीय विविधता

भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता: भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को मान्यता देता है। यह संघीय ढांचे (Federal Structure) को स्थापित करता है, जिसमें दोनों स्तरों की सरकारें—केंद्र और राज्य स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संघीयता की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह संविधान प्रदत्त विविधता और बहुलता को स्वीकार करता है, जिसमें भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान को राजनीतिक अभिव्यक्ति मिलती है।

- **"एक राष्ट्र, एक चुनाव" बनाम संघीय स्वायत्तता:** एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली सभी राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव देती है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सरलता, धन और समय की बचत, तथा विकास कार्यों में निरंतरता बनाए रखना है। लेकिन इस विचार से राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता को चुनौती मिल सकती है। यदि किसी राज्य की सरकार समय से पहले गिर जाती है, तो उस राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा जाए या अंतरिम सरकार द्वारा शेष कार्यकाल पूरा कराया जाए।
- **क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर प्रभाव :** भारत में क्षेत्रीय दल, जैसे कि डीएमके (तमिलनाडु), टीएमसी (पश्चिम बंगाल), बीजद (ओडिशा), और एआईएडीएमके आदि, स्थानीय मुद्दों, सांस्कृतिक पहचान, और क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक साथ चुनाव की स्थिति में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों की चुनावी संभावनाएं कमजोर पड़ सकती हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र की बहुलतावादी प्रकृति को खतरा हो सकता है, जहाँ विविधता के साथ लोकतांत्रिक सहभागिता की अवधारणा निहित है।
- **सामाजिक विविधता और प्रतिनिधित्व :** भारत की सामाजिक संरचना जातीय, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता से युक्त है। अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग सामाजिक समूहों के लिए चुनावी मुद्दे, प्राथमिकताएँ और चुनौतियाँ होती हैं। एक साथ चुनाव की प्रणाली में स्थानीय मुद्दों की अनदेखी हो सकती है, जिससे सामाजिक न्याय और हाशिए के समुदायों की आवाज़ दब सकती है। इससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक समावेशन की अवधारणा कमजोर पड़ सकती है।
- **प्रशासनिक और संवैधानिक समन्वय की चुनौती :** सभी राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र की लोकसभा के चुनावों का एक साथ आयोजन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 आदि में संशोधन की आवश्यकता होगी। यह संवैधानिक प्रक्रिया न केवल जटिल है, बल्कि इससे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। राज्यसभा, विधान परिषदें, पंचायती राज संस्थाएँ और नगरीय निकायों को इस प्रणाली में कैसे समाहित किया जाए, यह भी एक संघीय प्रशासनिक चुनौती है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

समाजशास्त्र राजनीति को सामाजिक संस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में समझता है। **"एक राष्ट्र, एक चुनाव"** को इस दृष्टि से देखा जाए तो यह न केवल राजनीतिक स्थिरता की ओर संकेत करता है बल्कि यह सामाजिक समरसता, सामूहिक चेतना और नागरिक सहभागिता को भी प्रभावित करता है।

- **सामाजिक समरसता :** एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय विमर्श एकरूप बन सकता है, जिससे क्षेत्रीय विभाजन की राजनीति पर अंकुश लग सकता है।
- **राजनीतिक समाजीकरण :** यह अवधारणा नागरिकों को चुनावी शिक्षा और भागीदारी में एक व्यापक अनुभव प्रदान कर सकती है।
- **संघीय ढांचे पर प्रभाव :** भारत जैसे विविधताओं वाले देश में संघीय ढांचे की सामाजिक संरचना इस प्रणाली से कैसे प्रभावित होगी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

सामाजिक प्रभाव

- **चुनावी थकावट की समाप्ति :** बार–बार चुनावों से नागरिकों में उदासीनता आती है। एकसाथ चुनाव से यह समस्या कम हो सकती है।
- **विकास पर ध्यान केंद्रित :** सरकारों को पूरे कार्यकाल में स्थायित्व और विकास कार्यों पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा।
- **महिलाओं और हाशिए के वर्गों की भागीदारी :** संगठित चुनाव प्रचार सामाजिक शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित कर सकता है।

- **सामाजिक ध्रुवीकरण:** हालांकि, यह भी संभव है कि एक साथ चुनावों से राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएं और स्थानीय मुद्दे पीछे छूट जाएं, जिससे कुछ वर्गों की आवाज़ दब सकती है।

एक साथ चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता:

राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वित करने के लिए राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल को तदनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी क्योंकि **अनुच्छेद 83** में कहा गया है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष की **होगी। अनुच्छेद 85** यह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है। **अनुच्छेद 172** इसमें कहा गया है कि विधान सभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष होगा। अनुच्छेद **174** यह राज्य के राज्यपाल को विधान सभा को भंग करने का अधिकार देता है। **अनुच्छेद 356** यह केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ–साथ संबंधित संसदीय प्रक्रिया में भी संशोधन की आवश्यकता होगी।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" के पक्ष में तर्क:

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष कम–से–कम एक चुनाव होता है, इन चुनावों के चलते विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान होते हैं। चुनाव की आर्थिक लागत अधिक है, इसके अलावा अन्य वित्तीय लागतें भी हैं। चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र चुनाव ड्यूटी और संबंधित कार्यों के कारण अपने नियमित कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है। चुनावी बजट में चुनाव के दौरान उपयोग किये जाने वाले इन लाखों मानव–घंटे की लागत की गणना नहीं की जाती है। नीतिगत पक्षाघात का सामना करना पड़ता है क्योंकि आदर्श आचार संहिता (MCC) के कारण सरकार किसी नई महत्त्वपूर्ण नीति की घोषणा या उसका क्रियान्वयन नहीं कर सकती है । प्रशासनिक लागतें तथा सुरक्षा बलों को तैनात करने तथा बार–बार उनके परिवहन पर भी भारी और दृश्यमान लागत आती है। संवेदनशील क्षेत्रों से इन बलों को हटाने और देश में जगह–जगह बार–बार तैनाती के कारण होने वाली थकान तथा बीमारियों के संदर्भ में राष्ट्र को एक बड़ी अदृश्य लागत का भुगतान करना पड़ता है।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" विपक्ष में तर्क:

एक साथ चुनावों को देश में लागू करना लगभग असंभव प्रतीत होता है क्योंकि इसके लिये विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती करनी पड़ेगी या उनकी चुनाव तिथियों को देश के बाकी भागों हेतु नियत तारीख के अनुरूप लाने के लिये उनके कार्यकाल में वृद्धि करना होगा । ऐसा कदम लोकतंत्र और संघवाद को कमज़ोर करेगा। लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध क्योंकि चुनावों के कृत्रिम चक्र को थोपना और मतदाताओं के चयन की आजादी को सीमित करता है। क्षेत्रीय दलों को नुकसान क्योंकि एक साथ होने वाले चुनावों में मतदाताओं द्वारा मुख्य रूप से एक ही तरफ वोट देने की संभावना अधिक होती है जिससे केंद्र में प्रमुख पार्टी को लाभ होता है। जवाबदेही में कमी हो सकती है क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं के समक्ष आने से राजनेताओं की जवाबदेहिता बढ़ती है।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" के लाभ

- राजनीतिक स्थायित्व और नीतिगत निरंतरता
- एक साथ चुनाव होने से सरकारें पूरे कार्यकाल तक बिना चुनावी दबाव के कार्य कर सकती हैं। इससे विकास योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो सकता है।
- आर्थिक और प्रशासनिक संसाधनों की बचत
- बार–बार चुनाव कराने में पुलिस बल, प्रशासन, शिक्षकों, और मीडिया संसाधनों की भारी भागीदारी होती है। एक साथ चुनाव से खर्च, समय और मानव संसाधनों की बचत होगी।
- सामाजिक और राजनीतिक समरसता जब देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय विमर्श एक जैसा होता है। इससे समाज में एकता और समान विचार प्रवाह की संभावना बनती है।
- चुनावी आचार संहिता के बार–बार लागू होने से बचाव
- बार–बार चुनावों से विकास कार्य बाधित होते हैं क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाती है। एक बार में चुनाव निपट जाने से प्रशासनिक रुकावटें कम होंगी।

लागत लाभ विश्लेषण

एक राष्ट्र, एक चुनाव को अपनाने से, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करने से, अपार वित्तीय लाभ मिलते हैं! जीवंत उदाहरणों के साथ विश्लेषण पर गौर करें । चुनावी लागत में कमी, सुव्यवस्थित व्यवस्था, एक साथ चुनाव कराने से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), मतपत्र और सुरक्षा जैसे चुनावी बुनियादी ढाँचे पर होने वाले खर्च में भारी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, 2014 के लोकसभा चुनावों पर 3,870 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों पर अकेले 300 करोड़ रुपये खर्च हुए। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का अनुमान है कि ONOE के कार्यान्वयन पर लगभग 4,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे पर्याप्त बचत होगी।

तालिका 1: वर्तमान प्रणाली बनाम प्रस्तावित ONOE पद्धति के तहत चुनाव व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण

क्रम0 सं0	व्यय श्रेणी	विवरण	वर्तमान व्यय (करोड़ रुपये)	एक साथ चुनाव व्यय (करोड़ रुपये में)	संभावित बचत (करोड़ रुपये में)
1.	कर्मचारियों की संख्या	चुनाव अधिकारियों, मतदान कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की लागत।	12000	6000	6000
2.	सामग्री	ईवीएम, वीवीपैट, मतपत्र और अन्य चुनाव सामग्री की खरीद,	8000	5000	3000
3.	परिवहन	ईवीएम एवं वीवीपैट, पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों के परिवहन के लिए व्यय।	6000	3000	3000
4.	वेबकास्टिंग	वेबकास्टिंग और सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से मतदान केंद्रों की लाइव मतदान निगरानी का व्यय।	4000	2500	1500
5.	विज्ञापन	मतदाता जागरूकता से संबंधित लागत अभियान, राजनीतिक विज्ञापन और मीडिया प्रचार	10000	6000	4000
6.	प्रशिक्षण	चुनाव कर्मचारियों, मतदान अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण व्यय।	5000	3000	2000

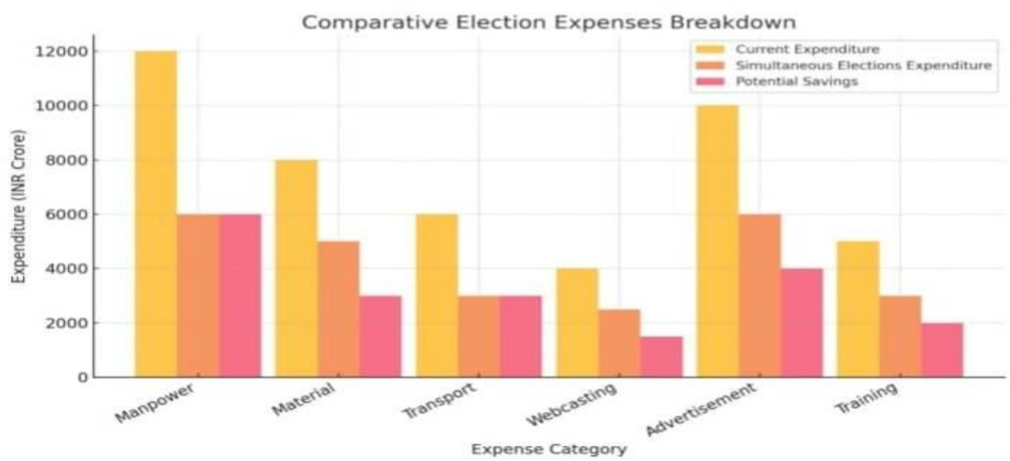

Figure 16: Comparative Election Expense Breakdown

Source:_ From the resources of various ECI & NITI Ayog.

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" के नुकसान

- संघीय ढांचे को खतरा।
- भारत का संविधान राज्यों को स्वतंत्र शासन का अधिकार देता है। यदि सभी राज्यों को केंद्र के साथ एक समय पर चुनाव के लिए बाध्य किया जाए, तो यह राज्यीय स्वायत्तता का हनन माना जा सकता है।
- स्थानीय मुद्दों की अनदेखी।
- राष्ट्रीय चुनावों में अक्सर बड़ी नीतियाँ और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे हावी रहते हैं, जिससे स्थानीय मुद्दे, जातीय समस्याएँ, और क्षेत्रीय अपेक्षाएं पीछे छूट सकती हैं।
- क्षेत्रीय दलों को नुकसान।
- एक साथ चुनावों में राष्ट्रीय पार्टियों को अधिक लाभ मिल सकता है क्योंकि संसाधन और प्रचार तंत्र उनके पास अधिक होते हैं। इससे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम हो सकता है।
- तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ ।
- भारत जैसे विशाल देश में एक साथ चुनाव कराना तकनीकी, सुरक्षा और मानव संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है।
- संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता।
- इस प्रणाली को लागू करने के लिए कई संवैधानिक अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा, जैसे अनुच्छेद 83, 85, 172, और 174। इसमें समय, राजनीतिक सहमति और विधिक प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

लोकसभा वर्ष 1952– 2019 तक चुनावी खर्चे

लोकसभाओं का क्रम	वर्ष	रूपये (लगभग) करोड़ में
पहली लोकसभा	1952	10.45
दूसरी लोकसभा	1957	5.90
तीसरी लोकसभा	1962	7.81
चौथी लोकसभा	1967	10.95
पांचवी लोकसभा	1971	14.43
छठी लोकसभा	1977	29.81

सातवी लोकसभा	1980	37.07
आठवीं लोकसभा	1984	85.51
नवीं लोकसभा	1989	154.22
दसवीं लोकसभा	1991	359.10
ग्यारहवीं लोकसभा	1996	597.34
बारहवीं लोकसभा	1998	626.40
तेरहवीं लोकसभा	1999	900
चौदहवीं लोकसभा	2004	1100
पन्द्रहवीं लोकसभा	2009	1443
सोलहवीं लोकसभा	2014	3837
सत्रहवीं लोकसभा	2019	6000

स्रोत : निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर दी गई सारणी

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की व्यवहारिक चुनौतियाँ

- **संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन :** यह प्रणाली लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 आदि में संशोधन आवश्यक है।
- **अस्थिर सरकारों की स्थिति में संकट :** यदि किसी राज्य में सरकार गिर जाती है तो दोबारा चुनाव कराने से एक साथ चुनाव की धारणा कमजोर पड़ सकती है।
- **लॉजिस्टिक और सुरक्षा व्यवस्था :** भारत जैसे बड़े और विविध देश में एक साथ चुनाव कराना प्रशासनिक और सुरक्षा दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **राजनीतिक असहमति :** कई क्षेत्रीय दल इस व्यवस्था का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ मिलेगा।

सुझाव

- **चरणबद्ध एकरूपता:** सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल धीरे–धीरे समायोजित कर एक साथ चुनाव की नींव रखी जा सकती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटलीकरण का उपयोग:** चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीकी साधनों का विस्तार किया जा सकता है।
- **राजनीतिक सहमति बनाना:** यह प्रणाली तभी सफल हो सकती है जब सभी राजनीतिक दल इसमें भागीदारी करें। इसके लिए व्यापक संवाद और सहमति आवश्यक है।
- **सामाजिक जागरूकता:** नागरिकों को एक साथ चुनाव के लाभ और संरचना के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

" एक राष्ट्र, एक चुनाव " की अवधारणा राजनीतिक सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखी जा रही है। यह विचार केवल चुनावी प्रणाली के संगठन का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यह भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में सामाजिक संरचना, पहचान, सहभागिता और शक्ति–संतुलन को भी प्रभावित करने वाला विचार है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण यह दर्शाता है कि इस प्रणाली के संभावित लाभों के साथ–साथ कई जटिल सामाजिक प्रभाव भी जुड़े हुए हैं। ष्एक राष्ट्र, एक चुनावष एक बहस योग्य और विचारणीय अवधारणा है जो भारतीय लोकतंत्र की कार्यकुशलता और पारदर्शिता को बढ़ाने का प्रयास करती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह प्रणाली नागरिक सहभागिता, सामाजिक एकता, और राजनीतिक स्थायित्व को सुदृढ़ कर सकती है, परंतु इसके साथ अनेक व्यवहारिक और संवैधानिक चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं।

सबसे पहले, एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक स्थायित्व, प्रशासनिक दक्षता, और विकास कार्यों में निरंतरता आ सकती है। यह नागरिकों को एक केंद्रीकृत राजनीतिक विमर्श से जोड़ सकता है और लोकतांत्रिक सहभागिता को संगठित रूप में सशक्त बना सकता है। इससे चुनावी थकावट कम होगी, और लोग अधिक जागरूक होकर मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। परंतु दूसरी ओर, यह प्रणाली स्थानीय पहचान, क्षेत्रीय मुद्दों और सामाजिक विविधता को दबा सकती है। भारत जैसे देश में, जहाँ जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर सामाजिक व राजनीतिक पहचान गहरी होती है, एकरूप चुनावी प्रणाली से यह आशंका बनती है कि छोटे समुदायों की आवाज़, और क्षेत्रीय दलों की भूमिका कमजोर हो जाएगी। समाजशास्त्र इस बात पर बल देता है कि लोकतंत्र तभी समावेशी बनता है जब हर वर्ग की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुरक्षित हो।

इसके अतिरिक्त, संघीय ढांचे की दृष्टि से यह प्रणाली राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता है। यदि चुनावों को एक साथ कराने के लिए संवैधानिक दबाव बनाया जाता है, तो यह राज्यों की सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि **"एक राष्ट्र, एक चुनाव"** एक आकर्षक एवं संगठित चुनावी विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे लागू करते समय भारत की सामाजिक संरचना, संघीय व्यवस्था और विविध पहचान की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। यह तभी सफल होगा जब इसमें सभी वर्गों की भागीदारी, राजनीतिक सहमति, और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को समाहित किया जाए।

अतः इस विषय पर गहन विमर्श, अध्ययन, और चरणबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता है ताकि यह अवधारणा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सफल हो सके।

सन्दर्भ सूची

1. "One Nation, One Election': What does it mean? See benefits, disadvantages here". mint. 2023-09-01. Retrieved 2023- 09-02.
2. Jump up to: a b c "'One Nation, One Election', Fourth Committee". The Wire. Retrieved 2023-09-02.
3. Jump up to:a b c Bureau, BL New Delhi (2023-09-07). "BL Explainer: Can One Nation, One Poll become a reality?". BusinessLine. Retrieved 2023-09-10.
4. Singh, Kartikey (2023-09-04). "Explained | What is the debate around 'one nation, one election'?". The Hindu. ISSN 0971- 751X. Retrieved 2023-09-10.
5. Ministry of Law and Justice, Legislative Department (2 September 2023). "Publication of Notification regarding Constitution of High Level Committee to examine the issue of simultaneous elections" (PDF). Retrieved 2 September 2023.
6. "Amit Shah, Adhir, Azad in eight-member panel to examine idea of 'one nation, one Election'". The Indian Express. 2023- 09-02. Retrieved 2023-09-02.
7. "'ECI ready to act': CEC Rajiv Kumar on 'One Nation, One Election' policy". mint. 2023- 09-06. Retrieved 2023-09-10.
8. "Govt notifies 1-nation, 1-election panel; lone Opp name Adhir withdraws, calls it eyewash". The Indian Express. 2023-09- 02. Retrieved 2023-09-02
9. - https://www.tutorialspoint.com/indian_polity/indian_polity_electio ns_system.htm.
10. -https://www.newindianexpress.com/nation/2019/jun/04/2019-loksabha-elections-most- expensive-ever-bjp-top-spender-report-1985636.html.
11. https://eci.gov.in/about/about-eci/the-functions-electoral-system-of-india-r2/.
12. https://nios.ac.in/media/documents/srsec317newE/317EL18.pdf.
13. https://www.livemint.com/news/india/ready-for-one-nation-one-election- sayselection-commissioner-chief-11646889681226.html.
14. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-1763-one-nation-one-electionconstitutional-challenges.html.
15. https://www.drishtiias.com/daily-news-editorials/one-nation-one-election-2
16. https://www.insightsonindia.com/2022/03/12/one-nation-one-election-3/.